न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1461–एक/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 24–03–14 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 246/2012–13 अपील.

1– श्रीमती श्यामुबाई विधवा रामप्रसाद
2– श्रीमती प्रेमबाई विधवा रामप्रसाद
निवासी ग्राम बरखेड़ा, तह0 टोंकखुर्द,
जिला देवास, म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती गीताबाई पति अनोखीलाल
नि0 ग्राम धतुरिया, तह. टोंकखुर्द,
जिला देवास, म0प्र0
2– राजेश पिता किशोरजी
नि0 ग्राम पोलायकंला, तह. कालापीपल,
जिला शाजापुर, म0प्र0
3– रेखाबाई पति लाखन पुत्री किशोरजी
नि0 ग्राम मैना, तह0 शुजालपुर, जिला
शाजापुर, म0प्र0
4–मध्य प्रदेश शासन

–––– अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक – अना.क. 1
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक अना. क. 2 व 3
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अना. 4 शासन

आदेश

(आज दिनांक 07 मई, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 246/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24–03–14 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण गीताबाई, राजेश एवं रेखाबाई की अपील अपने आदेश दिनांक 15–02–13 व्दारा स्वीकार कर नामान्तरण पंजी पर किये गये आदेश दिनांक 25–06–09 को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण के पूर्व की स्थिति भू–अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24–03–14 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि रामप्रसाद की मृत्य के बाद आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमियों पर विधिवत नामान्तरण किया गया है। मृत रामप्रसाद की आवेदकगण एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किये आदेश पारित किया है। दिनांक 25–06–2009 की कोई पंजी अस्तित्व में नहीं थी और ना ही इस संबंध में कोई पंजी प्रस्तुत हुई। कयास के आधार पर मनमाने तरीके से अनावेदक के कहने पर 26–06–09 का विवाद बताकर आदेश पारित किया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि जयराम के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि थी। जयराम की विधवा गवराबाई तथा 2 पुत्रियॉ गीताबाई तथा सौरभबाई व पुत्र रामप्रसाद थे। नामान्तरण पंजी में हितबध्द पक्षकारों को सूचना दिये बिना मृत जयराम का एकमात्र वारिस रामप्रसाद मानते हुए नामान्तरण किया गया जिसे अनावेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में चुनौती दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए नामान्तरण आदेश निरस्त किया है जिसे विव्दान अपर आयुक्त व्दारा यथावत रखा गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–02–13 से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए

नामान्तरण पंजी पर किये गये आदेश 25–06–09 को निरस्त किया गया है जिसे अपील में अपर आयुक्त व्दारा जयराम के वारिस रामप्रसाद के अतिरिक्त गवराबाई तथा पुत्रियॉ गीताबाई एवं सौरभबाई होने से स्थिर रखा गया है। ग्राम बरखेड़ा की नामान्तरण पंजी के अवलोकन से विदित होता है कि नामान्तरण पंजी क0 26 पर ग्राम पंचायत के प्रकरण क0 4 दिनांक 30–03–06 के आधार पर मृत जयराम के स्थान पर रामप्रसाद का नामान्तरण किया गया। अपर आयुक्त के अभिलेख में उपलब्ध खसरा पंचसाला वर्ष 2012–13 एवं किश्तबन्दी खतौनी बी–1 वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतियों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि रामप्रसाद की मृत्यु के उपरान्त आवेदकगण प्रेमबाई श्यामुबाई विधवा रामप्रसाद के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं। ऋण पुस्तिका भू–अधिकार की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रश्नाधीन भूमियॉ प्रेमबाई श्यामुबाई विधवा रामप्रसाद के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि रामप्रसाद की मृत्यु के बाद प्रश्नाधीन भूमियॉ रामप्रसाद के विधिक वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जा चुकी है। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाते हैं, इसलिये पूर्व का नामान्तरण, जो रामप्रसाद के हक में हुआ, को राजस्व न्यायालयों व्दारा रि–ऑपन करके नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें सिविल वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषित कराना चाहिये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 24–03–14 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15–02–13 निरस्त किये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर